न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2018/255 दिनांक 27.2.18

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 238/17 अनवान ईस्माइल वगैरा बनाम सवाई वगैरामें न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.02.2018 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन आवेदन सं. 238/17 अन्तर्गत धारा 251 (क) Rt Act में निर्णय दिनांक 27.02.2018 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 238/17 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

प्रार्थीगण :– 1. इस्माईल 2.दोसू पि.सिका 3.धीया पत्नि सिका 4.मुराद पुत्र चिना 5.दराखां 6.हमजा 7.रमदान 8.सरादीन पि.ईशाक 9.सैंत पत्नि ईशाक जाति मुसलमान, निवासी जैसार, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. सवाई पुत्र नारणा 2.मोतीराम 3.लाधुराम 4.पूनमाराम 5.लिखमाराम 6.कुम्भाराम पि.प्रभूराम 7.नवला पुत्र दमा जातियान जाट निवासी जैसार, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
8.तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री उदयभानुसिंह राठौड़ , श्री मुकीन खान समेजा

विप्रार्थीगण वकील :– एकतरफा

निर्णय

दिनांक 27.02.18

प्रार्थीगण इस्माईल पुत्र सिका वगैरा जाति मुसलमान, निवासी जैसार, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त की जोत मौजा जैसार, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 41 रकबा 72.14 बीघा, खसरा सं. 260/26 रकबा 45.11 बीघा, खसरा सं. 264/26 रकबा 45.10 बीघा स्थित है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 262/26 रकबा 30.07 बीघा, खसरा सं. 261/26 रकबा 30.07 बीघा, खसरा सं. 263/26 रकबा 30.07 बीघा भूमि मौजा जैसार में रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवदेन पर तहसीलदार को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार चौहटन से उपरोक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त । जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया । मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट स्वीकार की ।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	263/26	30.07 बीघा	बा.सो.	20 फीट	00.08	जैसार	नवला पुत्र दमा जाट
2	261/26	30.07 बीघा	बा.सो.	20 फीट	00.09	जैसार	मोतीराम, लाधुराम, पूनमाराम, कुम्भाराम पि. प्रभूराम जाट
3	262/26	30.07 बीघा	बा.सो.	20.फीट	00.10	जैसार	सवाई/नारणा जाट

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 263/26, 261/26 व 262/26 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 27.02.2018 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

मौका फर्द   राजस्व आवेदन सं० 238/17

आज दिनांक 28/7/17 को श्रीमान तहसीलदार साहब चौहटन के आदेश क्रमांक / मु० अ० / 2017 / 1590 दि० 25.7.17 की पालना में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय चौहटन के राजस्व आवेदन सं० 238/17 अन्तर्गत धारा 251A राज० भू० राजस्व अधिनियम अनवम् इस्माईल वगैरा बनाम सवाई वगैरा में खेत खसरा नम्बर 262/26, 261/26, 263/26 रकबा क्रमश: 30.07, 30.07, 30.07 बीघा में से ख० नं. 260/26, 264/26, 41 रकबा क्रमश: 45.11, 45.10, 72.14 बीघा में आने जाने हेतु 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है जिसकी मौका जाँच हेतु हमराह हल्का पटवारी मय [illegible] के साथ मौके पर पहुँचा। वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित के समक्ष मौका देखा गया। [illegible]-[illegible] सड़क से ख० नं. 260/26, 264/26, 41 तक आने जाने हेतु रास्ता खुला पाया गया। उक्त रास्ता कायम नहीं है। ख० नं. 41 में प्रार्थीगण की ढाणियां बनी हुई है तथा उससे लगता ख० नं. 260/26, 264/26 प्रार्थीगण का खातेदारी खेत आया हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता के दोनों तरफ विपक्षीगण 1 से 3 का पुश्तेनीय खातेदारी खेत आया हुआ है जिसके बीचों-बीच विपक्षीगण 1 से 3 रास्ता देने में सहमत नहीं है। संलग्न प्रस्तावित नक्शा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नाम खातेदार मय वल्दियत	ख० नं.	रकबा बीघा	रास्ते की चौड़ाई फीट	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि	डी.एल.सी. दर	रास्ते में समाविष्ट भूमि कीमत	किस्म
1	नवला / [illegible] जाट	263/26	30.07	20 फीट	0.08	10840	8672	बारानी
2	[illegible] लाधूराम [illegible] [illegible] पुत्र [illegible] जाट	261/26	30.07	20 फीट	0.09	10840	9756	बारानी
3	सवाई / [illegible] जाट	262/26	30.07	20 फीट	0.10	10840	10840	बारानी
	योग					1.07	29268	

उक्त प्रार्थीगण को अपने खेत ख० नं. 260/26, 264/26, 41 में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता खातेदार पड़ौसी द्वारा कायम रास्ता नहीं है। संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार रास्ते में कीमती पेड़ पक्का मकान इत्यादि नहीं आता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता संलग्न नक्शा पर लाल रंग दर्शाये अनुसार ख० नं. 263/26, 261/26, 262/26 रकबा क्रमश: 0.08, 0.09, 0.10 कुल भूमि 1.07 बिस्वा प्रस्तावित है। [illegible] मौके पर बनाकर [illegible] [illegible] तथा उपस्थित वादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रतिवादीगण 1 से 3 सहमत नहीं है।

Ex-Count

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

नि० इस्माईल [illegible]

नि० [illegible]

[illegible] (कमरुद्दीन / [illegible])

[illegible] [illegible] सिकन्दर

[illegible] 28-07-17

[illegible] 28/7/17

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

आंशिक ट्रेस नक्शा
मौजा - जैसार
तह० - चकराता

राजस्व वाद संख्या 238/17

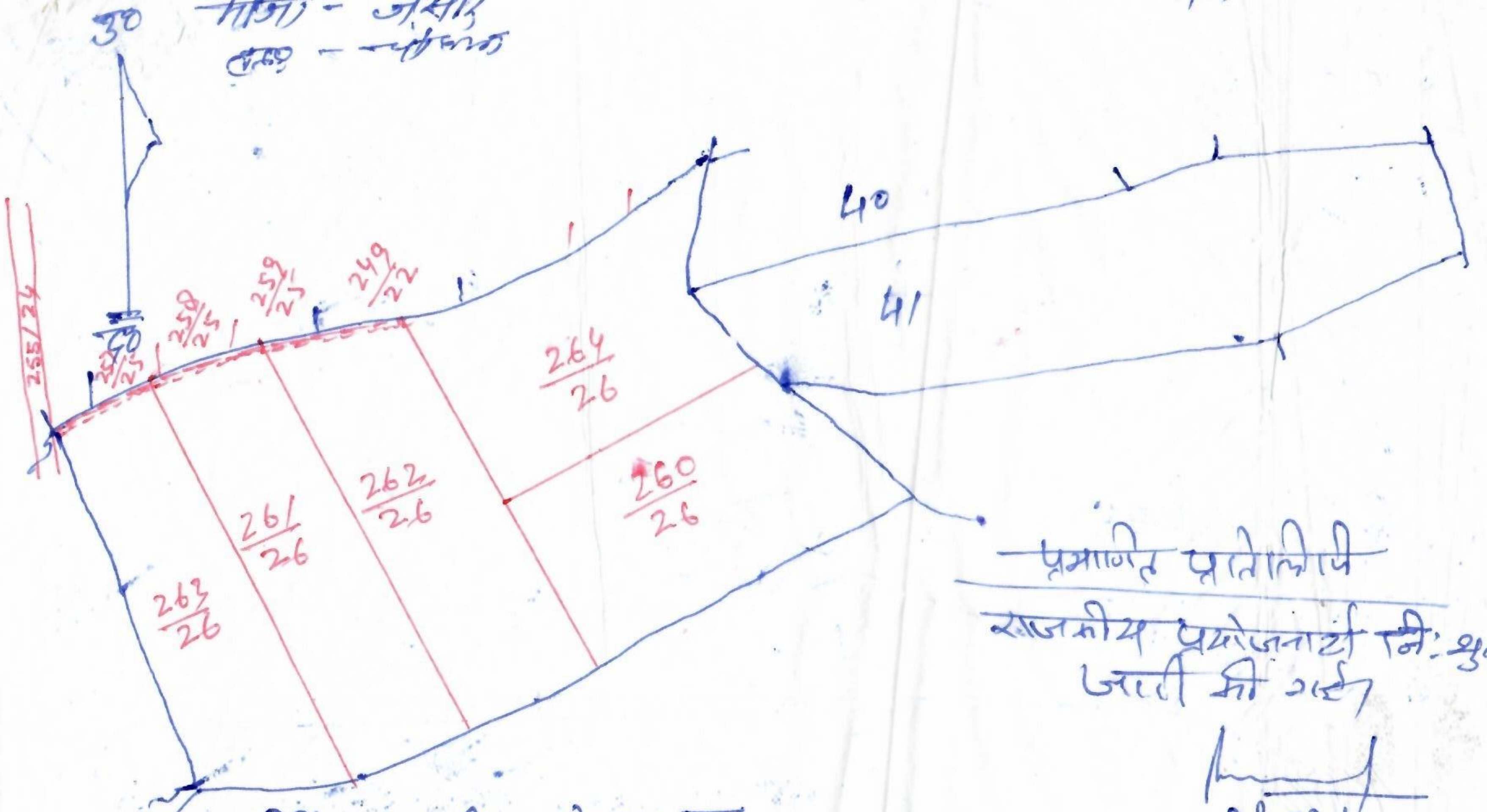

रास्ते हेतु प्रस्तावित क्षेत्र भाग

प्रमाणित प्रतिलिपि

राजकीय प्रयोजनार्थ नि:शुल्क जारी की गई।

28-07-17
प० जैसार

28-07-17
IM छाछ

28-07-17
प० जैसार

Ex-Court